

देय पावती सहित रजिस्ट्री डाक
REGISTERED POST WITH ACKNOWLEDGEMENT DUE

टेलीफोन Telephone : 51034, 50400
ग्राम : भविष्यनिधि Gram : Bhavishyanidhi
टेलिक्स Telex : 675 280

क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त का कार्यालय, उड़ीसा
OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND
COMMISSIONER, ORISSA

भविष्यनिधि भवन, जनपथ, यूनिट सं 9, भुवनेश्वर-751007
Bhavishyanidhi Bhawan, Janpath, Unit No. IX, Bhubaneswar-751007

सं No. Emb-I/Cor/155/94/OR/4912/9404 दिनांक Date 29/10/95
सेवा में To

M/S INDFAB

F.C-1, Road, Walconagar

DIST - Angul.

विषय: कर्मचारी भविष्यनिधि व विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत योजनाएं-कूट सं. की प्रयोजनीयता तथा आवंटन एवं अनुदेश के संबंध में।

Sub: The Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder-Applicability of and allotment of Code No and instructions-Regarding महोदय, Sir(s),

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना को उसकी सभी शाखाओं और विभागों यदि कोई हो, सहित दिनांक..... से..... रूप में कर्मचारी भविष्यनिधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 तथा उसके अन्तर्गत गठित योजनाओं के अधीन लाया जाता है।

1. Your factory/establishment with all its branches and departments, if any, is brought within the purview of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Schemes framed thereunder with effect from..... as: 1-11-1993

1) यह फैक्ट्री.....के निर्माण में रत है जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट उद्योगों में से एक है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (ए) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्यनिधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होते हैं।

i) It is a factory engaged in the manufacture of "E.M or G.E Product" one of the industries specified in Schedule 1 to which the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

ii) यह.....के रूप में वर्गीकृत एक स्थापना है जिसपर भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा (3) (बी) के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि तथा विविध प्रावधान 1952 लागू किया गया है।

ii) It is an establishment classified as... to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India, by a Notification under section 1 (3) (b) of the Act.

1 ए. आपसे प्राप्त आवेदन पत्र सं..... दिनांक..... के संदर्भ में जो ऐच्छिक आधार पर अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्यनिधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू करने के संबंध में है आपकी स्थापना को कोड सं. आवंटित की जाती है अर्थात् ओआर/ जो आवधिक रूप में आपकी स्थापना पर दिनांक..... से लागू होगी सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में भारत सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। अतः आपसे आग्रह है कि आप कर्मचारी भविष्यनिधि व विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों को दिनांक..... से कार्यान्वित करें यदि पहले नहीं हो पाया है।

1 A. With reference to your application No. Dated
received for the extension of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act